rspcb

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Choudhary Campus, Near Durga Petrol Pump, Dahod Road, Thikariya, Banswara
Email:-rorpcbbanswara2021@gmail.com www.environment.rajasthan.gov.in

LiFE Lifestyle for Environment

No.: RPCB / RO Banswara/ PH-23/380 Date: 11.10.2023

Registered Post/E-mail

To,
The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Room No. 11, Aravali Bhawan,
Jhalana Institutional Area,
Jaipur, Rajasthan
Email- seiaams2021@gmail.com

Sub:- Regarding minutes of public hearing dated 27.09.2023 for Environmental Clearance of M/s Nalwaya Minerals Industries (Deopur-1 Soapstone & Dolomite Mines, M.L. No.- 07/1998 A) Area- 31.91 Hectare located N/v-Deopur, Tehsil: Sabla, District: Dungarpur.

Ref:- 1. Additional District Collector, Dungarpur letter no. F40 /18(57) Gen/ 2023 /1503 dated 16.08.2023.
2. Additional District Collector, Dungarpur Letter No. F40/18(57)Gen/ 2023/1743 dated 26.09.2023.

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 27.09.2023 for proposed expansion in production of M/s Nalwaya Minerals Industries (Deopur-1 Soapstone & Dolomite Mines, M.L. No.- 07/1998 A) Area- 31.91 Hectare located N/v- Deopur, Tehsil: Sabla, District: Dungarpur.

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

-Sd-

(Ravi Chandel)
Regional Officer

Encl: As above.

Copy to:-

(1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
(2) District Collector, Dungarpur
(3) Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
(4) M/s Nalwaya Minerals Industries, Udaipur

17/10/2023

Regional Officer

जन–सुनवाई के कार्यवृत (Minutes)

मैसर्स नलवाया मिनरल इण्डस्ट्रिज प्रा. लि. कि खनन परियोजना देवपुर प्रथम सोपस्टोन और डोलोमाईट, एम.एल.न. 7ए/1998 दिनांक 27.09.2023, समय दोपहर 01:30 बजे को आयोजित जन–सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

स्थानः– देवपुर ग्राम पंचायत भवन पाटनपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

पर्यावरणीय जनसुनवाई में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई–

1. श्री श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
2. श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा
3. श्री कन्हैया लाल पाटीदार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा

जन सुनवाई श्री हेमेन्द्र नागर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर की अध्यक्षता एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा की उपस्थिति में मैसर्स नलवाया मिनरल इण्डस्ट्रिज प्रा. लि. कि खनन परियोजना देवपुर प्रथम सोपस्टोन और डोलोमाईट, एम.एल.न. 7ए/1998 की जन सुनवाई दिनांक 27.09.2023 समय दोपहर 01:30 बजे स्थान देवपुर ग्राम पंचायत भवन पाटनपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) में आयोजित होना तय था परन्तु श्री हेमेन्द्र नागर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं होने से श्रीमान हेमेन्द्र नागर द्वारा श्री श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा को

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा प्र नि म बांसवाडा

जिला कलेक्टर महोदय की अनुशंसा के आधार पर पत्र संख्या एफ 40/18(57)सामा0/2023/1743 दिनांक 26.09.2023 द्वारा अधिकृत किया गया जिसकी प्रति संलग्न है।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा की अध्यक्षता एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जन सुनवाई के संबंध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसुचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानो के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 25.08.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 23.09.2023 को आमजन की सूचना जन सुनवाई की तारीख ,स्थान के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई "मैसर्स नलवाया मिनरल इण्डस्ट्रिज प्रा. लि. कि खनन परियोजना देवपुर प्रथम सोपस्टोन और डोलोमाइट, एम.एल.न. 7ए/1998, क्षैत्रफल 31.91 हेक्टेयर प्रस्तावित उत्पादन क्षमताः मौजूदा – 70,000 टीपीए (सोपस्टोन 50,000 टीपीए और डोलोमाइट – 20,000 टीपीए) से प्रस्तावित – 5,85,030 टीपीए (सोपस्टोन 70,204 टीपीए और डोलोमाइट – 1,46,257 टीपीए, ओबी/उपषिष्ट – 3,68,570 टीपीए) गांव देवपुर, तहसील – साबला, जिला – डूंगरपुर (राजस्थान) में स्थित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। परियोजना की लागतः मौजूदा–1.0 करोड, प्रस्तावित– 1.0 करोड, कुल – 2.0 करोड है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/ शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमे आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/ शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमे दे सकते है।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/ शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी. / डी.वी.डी. के अनुरूप अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरिय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस ईकाइ को संदर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 21.03.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योगो द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "1" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (एन्के एन्वायरो सर्विसेज प्रा. लि., जयपुर) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई. आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश / ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "2" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश / ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप , सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि नियमानुसार है :–

अपर जिला अधिकारी
बांसवाडा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाडा

गौतम मीणा निवासी देवपुर :

सोपस्टोन की धुल कणों से टिबी एंव सिलिकोसिस की बीमारी हो रही है । प्रदुषण द्वारा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने का प्रयास किया जाऐ। जल स्तर नीचे चला गया है आने वाले समय में जल संकट आने वाला है गहराई की वजह से भूस्खलन त्रासदी से गुजरना पड रहा है उसको कम किया जाये। स्थानीय निवासियों की संस्कृति एवं परम्परा , आवास खेती बाडी प्रभावित हो रही है में भी ठोस कदम उठाये जावें। नजदीकी स्कूलों में सैकड़ों बच्चे पढ रहे है पढाई प्रभावित हो रही है । उसके बारे में भी कम्पनी ध्यान देवें। स्थानीय लोगो को रोजगार उपलब्ध नहीं होने से उसका कार्य भी पुरा किया जाऐ । ब्लास्टिंग से होने वाली क्षति को कम किया जायें । सोपस्टोन की आय का 50% स्थानीय ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाऐ। स्थानीय ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जावें। माईन्स का पट्टा कहां और कब तक वैद्य है गांव वालो को बताया जावें। पानी सिंचाई आदि की सुविधा मुहय्या करायी जावें। माईन्स की गहराई को कम रखें ताकि जल स्तर कम रहें, साथ ही जनहानि न हो । स्थानीय मजदुरो को पेंशन सुरक्षा, बीमा एवं छुट्टी के दिनों का भी भुगतान हो, न्यूनतम मजदुरी 500 रूपया की जावें। माईन्स पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जावें। मवेशियों के लिए पानी की टंकिया बनायी जावें। वेस्ट पत्थर का ग्राम विकास में निःशुल्क दिया जावें। पैड़ पौधे लगाये जावें। माईन्स से निकलने वाले पानी को माही नदी में न डालकर पाईप लाईन द्वारा पौधो तक पंहुचाये जावे। माईन्स उपरोक्त मांगो को पूर्ण किया जावें एवं माईन्स लीज तभी बढाई जाये नही तो आंदोलन किया जाऐगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया की उक्त मांगो को सरकार में भेज दिया जायेगा।

गौतम लाल, ग्रांम देवपुर :

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

मैं बीस सालों से माईन्स पर नौकरी कर रहा हूं हर साल हमारा मेडिकल ट्रिटमेन्ट हो रहा है आज तक किसी भी मजदुर को सिलिकोसिस की बीमारी नहीं हुई है । हमारे स्कूल में मैदान बनाया और स्कूल भवन भी बनवाया है इस पर एस.डी.एम. साहब ने कहा कि आप बैठ जाये और गांव वाले ही समस्या बतावें।
एस.डी.एम. साहब ने आग्रह किया कि जो भी समस्या आप लिखित में देना चाहते है इस पर ग्राम वासियो ने समस्याएं लिखित रूप में दी है ।

कैलाश चन्द्र मीणा ग्रांम देवपुर :

स्कूल में भवनो की कमी है व बैठने की समस्या आ रही है ।

हेमराज मीणा ग्रांम पाटनपुरा :

ने बताया कि नलवाया में जो ब्लास्टिंग होती है उसको थोडा कम किया जायें, मकानों में दरारें पड़ती है तो हैवी ब्लास्टिंग को छोटी ब्लास्टिंग किया जायें। पंचायत क्षैत्र के राजस्व गांवो में विकास कार्य करवाया जाऐ। पशु के पीने के लिए पानी, माईन्स के पानी को वेस्ट नहीं जाने दिया जावें। कृषि कार्य में या अन्य कार्य में उपयोग किया जायें। वृक्षारोपण में यूज करके पेड पौधो को अधिक से अधिक बढाया जायें। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण कराया जायें। वन क्षैत्र मे कई जगह ऐसी है जहां एनिकट बनाया जायें । जिससे पानी उपर आवें। विद्यालयो में कक्षा कक्ष बनाया जावें, बैठने की व्यवस्था कराई जावें। ब्लास्टिंग सरकारी मानक द्वारा की जायें । वैसे कम्पनी भलाई का काम कर रही है अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावें।

गणपत लाल मीणा ग्रांम पाटनपुरा :

वेस्टेज पत्थर है वो ग्रामीण ईलाकों में मिलना चाहिए ।

उपखण्ड अधिकारी

क्षैत्रीय अधिकारी

धुलेश्वर मीणा ग्रांम पाटनपुरा :

नलवाया माईन्स के पास एक माईन्स है जिसमें ब्लास्टिंग के दौरान दरारें से पानी नाले में गिरता है।

श्री श्रवण सिंह, एस.डी.एम., सागवाडा :

ग्राम वासियों ने अपनी समस्या बताई अब कम्पनी किस प्रकार कार्य करेगी जिससे क्षैत्र वासियो को लाभ मिले एवं प्रदुषण पर भी नियंत्रण रह सके । उन्होने बताया कि आप के क्षेत्र में काफी समय से लीज चल रही है अब कम्पनी यह चाहती है कि अब काम को और बढाना चाहते है, पेयजल की समस्या और पानी की समस्या पैदा न हो इसके लिए पानी का स्टोरेज कम्पनी वरियता देगी। पैड पौधो और प्राकृतिक परिवेश को नुकसान नहीं है । नोर्मस् के अनुसार कम्पनी को कार्य करना होता है इस पर कम्पनी की क्या कार्य योजना है अवगत करावें।

कम्पनी प्रतिनिधि श्री सैयद मकबूल अहमद :

कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा सर्व प्रथम एस.डी.एम. साहब व आर.ओ. साहब एवं सरपंच साहिबा का स्वागत किया गया एवं बताया कि जो समस्या ग्राम वासियो ने मौखिक रूप में दी है का शत–प्रतिशत पालना की जावेगी। जो नियमानुसार कार्य है हम जरूर करेंगे। जहां तक ब्लास्टिंग से क्षति का सवाल है हम ब्लास्टिंग केवल डी.जी.एम.एस. के नोर्मस् के हिसाब से ही करेंगें। ब्लास्टिंग की उच्चतम तकनीक (लेटेस्ट टेक्नोलॉजी) का समावेश करेंगें। जिससे कि यह समस्या दुर हो सकें। उच्च तकनीक व डिले डेटोनेटर को देकर ब्लास्टिंग कन्ट्रोल किया जा सकता है। हम विश्वास दिलाते है कि आप को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी ? आप द्वारा वेस्टेज पत्थर को चाहा गया था । सरकार हमको सोपस्टोन एवं डोलोमाईट के अलावा हमको कोई पत्थर ले जाने नहीं देती है, बिना

उपजिला अधिकारी
सागवाड़ा

सरकार की स्वीकृती के कैसे आपको पत्थर दिया जा सकता है । यदि सरकार इसकी स्वीकृती करती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम नियमानुसार ही कार्य करेंगें। दुसरी समस्या सुरक्षा है । माईन्स लीज में प्रवेश निषेध है दुर्घटना की सम्भावना रहती है । सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसी अनुसार कार्य करेंगें। आदरणीय नलवाया साहब की अनुमति से आपको आश्वासन दिलाते है कि सी.एस.आर. एक्टीवीटी को निश्चित रूप से बढाऐगें। हम कोशिश करेंगे कि यहां के सामाजिक स्तर को उंचा उठाऐंगे। आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

दयालाल, सरपंच प्रतिनिधि :
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण की इस जन सुनवाई में आपका स्वागत है ग्राम वासियो की ओर से एवं अपनी ओर से कुछ समस्या को बताना चाहूंगा। जो कम्पनी की ओर से बताया गया गया है उसमें कुछ चीजें धरातल पर नहीं है । पेयजल समस्या में कम्पनी द्वारा सामाजिक कार्यो में कम्पनी द्वारा टेंकर भिजवाया जाता है । वेस्टेज पत्थर को सरकार नियम अनुसार कम्पनी ग्राम वासियो को देवे । सालाना इन्कम का 10 प्रतिशत क्षैत्र के विकास हेतु लगावे । कितनी राशि होती है से हमें अवगत कराया जावें। क्षैत्र में विकास हो रहा या नहीं हमारी जानकारी में लाया जावें । माईन्स के पास से नहर गुजर रही है उसमें ब्लास्टिंग से क्षति होती है। कितनी राशि कटती है एवं कितनी राशि ग्रामिण विकास में लगायी जाती है अवगत कराया जावें, जानकारी दी जायें।

कम्पनी प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी रॉयल्टी सरकार द्वारा ली जाती है उसका 10 प्रतिशत डी.एम.एफ.टी. में एवं 2 प्रतिशत आर.एस.एम.ई.टी. में जमा कराया जाता है एवं आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा इस फण्ड से क्षैत्र के विकास में खर्च किया जाता है । विगत वर्षो से जो राशि जमा करायी गयी है उसकी सूचना आर.ओ. साहब को दे दी जायेगी।
श्री श्रवण सिंह, एस.डी.एम., सागवाडा ने निर्देष दिये है कि सी.एस.आर. के अर्न्तगत कार्य करवाये जावें। स्कूल बाउण्ड्री, कमरा आदि व हॉस्पिटल में फेसिलिटि दि जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible]

शंकरलाल मीणा ग्राम देवपुर :
लेबर के आने जाने के लिए बस लगायी जावें ।
कम्पनी प्रतिनिधि ने बताया कि स्थानीय रोजगार दिया जा रहा है। आसपास के लोग ही कार्य कर रहे है, उनके लिए बस की सुविधा देने की कोशिश की जायेगी।

जनसुनवाई के दौरान निम्नलिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र. स.	अभ्यावेदन प्रस्तुतकर्ता	विवरण
1	समस्त ग्रामवासी पाटनपुरा	रा.उ.मा.वि. पाटनपुरा में खेल मैदान एवं भवन बनवाने के संबंध में।
2	समस्त ग्रामवासी पाटनपुरा	रा.उ.मा.वि. पाटनपुरा में स्टाफ की कमी है अतः विद्यालय को शिक्षक उपलब्ध करवाने के संबंध में।
3	समस्त मोहल्लेवासी आमलीफला	न्जदीकी क्षेत्र में, खनन होने से जल स्तर गहराई में जाने के संबंध में।
4	समस्त ग्रामवासी ,पाटनपुरा	खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को जोड़ने बाबत्।
5	अनिता कुमारी मीणा, निवासी पाटनपुरा	नव आंगनवाड़ी केन्द्र खुलवाने बाबत्।
6	समस्त ग्रामवासी ,पाटनपुरा	ग्राम पंचायत पाटनपुरा मेन रोड भुंगाभट रोड़ को पुरा जोड़ने हेतु।
7	समस्त ग्रामवासी देवपुरा, पाटनपुरा, ग्र. प. पाटनपुरा	देवपुरा में स्थित सोपस्टोन माइंस की लीज ग्राम सभा एवं स्थानीय निवासियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र व शर्तो के मानने के उपरान्त ही बढाने बाबत्

उपरोक्त अभ्यावेदनों की प्रति परिशिष्ट "3" पर सलंग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

श्री श्रवण सिंह, एस.डी.एम., सागवाडा द्वारा अवगत कराया कि और भी किसी को कोई प्रश्न पुछना हो तो पुछ सकते है नही तो आप सभी कि जो कम्पलेन्ट है सुन ली गई है । सभी लिखित आवेदन को प्रोसिडिंग में शामिल कर दिया जायेगा। कार्य योजना का भी आदान प्रदान किया जायेगा। कम्पनी और ग्राम वासियो में सामंजस्य बनाया जाये जिससे कि क्षैत्र का विकास हो।

जन सुनवाई आप सभी की उपस्थिति में संपन्न की जाती है।

धन्यवाद।

(श्रवण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा,
जिला– डूंगरपुर
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा

C.S.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राज.)

संलग्नक : 1

मैसर्स नलवाया मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., (एम.एल. सं. 07 ए/1998, क्षैत्रफल–31.91 हैक्टेयर), प्रस्तावित सोपस्टोन एवं डोलोमाईट माईन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 07 ए/1998, क्षैत्रफल–31.91 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 5,85,030 TPA (सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 70,204 TPA, डोलोमाइट उत्पादन क्षमता 1,46,257 TPA एवं ओवरबर्डन/वेस्ट 3,68,570 TPA) निकट ग्राम–देवपुर, तहसील–साबला, जिला–डूंगरपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 27.09.2023 को 01:30 PM बजे, देवपुर ग्राम पंचायत भवन पाटनपुरा, तहसील–साबला, जिला–डूंगरपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	श्रवण सिंह राठौड़	SDM	[signature]
2	रवि कुमार चन्देल	क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान	[signature]
3	श्रीमती कान्ता मीणा, सरपंच	पाटनपुरा	कान्ता
4	N. K. Nalwaya	Udaipur	[signature]
5	Kankaiya lal Pabida (JEE)	RSPCB, RO, Banswara	[signature]
6	Madhav raj Singh	Solanj	[signature]
7	[illegible] meena	Sarnaj	[signature]
8	हेमराज मीणा	पाटनपुरा	[signature]
9	[illegible]	पुनपुरा	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	देवपुरा
11	प्रभुलाल मीणा उपसरपंच	पाटनपुरा	[thumb impression]
12	केसा मीणा	देवपुर	
13	रामलाल [illegible]	देवपुर	[signature]
14	कन्हैयालाल बरोड	देवपुरा	[signature]
15	शंकरलाल डेंडोर	देवपुरा	[signature]
16	गौतमलाल मीणा	देवपुरा	[signature]
17	विजयसिंह राजपूत	सोलंज	विजय

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	कमलेश	पुंजपुरा	कमलेश
	कन्हैयालाल माले	डबपुरा	कन्हैया
	सुरेन्द्र	पारपुरा	[illegible]
	रूपा	पारनपुरा	रूपा
	चुलीश्वर	पातलीखेड़ा	चुलीश्वर
	गोपाल/नाथा भील	डेवपुरा	[illegible]
	भागाराम	डेवपुरा	[illegible]
	माणा नारज	डेवपुरा	माणा
	दामा	पारनपुरा	
	रूपा / मेतीया	पारनपुरा	रूपा
	कालुराम	पारनपुरा	कालुराम
	कसीया / रूपकीया	पारनपुरा	कसीया
	शंकरलाल	— " —	शंकरलाल
	हिरीया	— " —	हिरीया
	जगला मेघराज	सुथलखेड़ा	जगमाल
	महवीर	पारनपुरा	[illegible]
	नगजी	पारनपुरा	नगजी
	नन्दराम	पारनपुरा	[illegible]
	रामा	— " —	रामा
	सुरेश	— " —	सुरेश
	रामलाल	पारनपुरा	रामलाल
	नवला जी	— " —	नवला
	कालीया	— " —	कालीया
	हिरजी	— " —	हिरजी
	खेमराज	— " —	खेमराज

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	सुरखाडिया मोहन	पारनपुरा	सुरखाडिया
	हेमला / गौतमा	—"—	हेमला
	प्रेमकुमार 2	पारनपुरा	प्रेमकुमार
	सुरेश	—"—	सुरेश
	भागली / भालेरा	—"—	
	भवरलाल	—"—	
	शान्ती	—"—	[illegible]
	महेन्द्र	—"—	
	कालुराम	—"—	कालुराम
	कमला	—"—	कमला
	रामलाल	—"—	रामलाल
	कालीमा	—"—	कालीमा
	कालुराम	—"—	कालुराम
	[illegible]	—"—	[illegible]
	Ganesh meena	—"—	[illegible]
	[illegible]	Rajendranagar	[illegible]
	कैलाश		कैलाश
	Jayanti	"—	Jayanti
	जीवा	—"—	
	देवा	—"—	
	कमला	पारनपुरा	
	[illegible]		
	कैलाश चन्द	पारनपुरा	कैलाश
	देवा / [illegible]	—"—	[illegible]
	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	राजमल / के कोठ्या	देवपुरा	राजमल
	लक्ष्मण भाणूीया	पाटनपुरा, देवपुरा	लक्ष्मण
	कैलाश मीणा / आपरेटर	देवपुरा	[illegible]
	Pushkendra Nalwaya.	Deopur-	[illegible]
	VIKAS NALWAYA	Deopur	VIKAS
	S. M. Ahmed	Depur	Maqbool
	DIVYESH GIRI GOSWAMI	GM, Enkay Enviro Services Pvt. Ltd. Jaipur	दिव्येश
	Suyash Awasthi	Manager - EESPL - Jaipur	[illegible]
	Shivani Nalwaya.	Udaipur	[illegible]
	Manish Nalwaya	udaipur	[illegible]
	R. K. Nalwaya	"	[illegible]
	Dhruv Nalwaya	Udaipur	[illegible]
	Laxmi Lal	Udaipur	[illegible]
	Kesarimal	Patanpura	Kesf
	दिनेश कुमार जोशी	सोलंकी खाता	[illegible]
	जोधासिंह	जामरी	[illegible]
	खेमलाल / - ?	देवपुरा पाटनपुरा	[illegible]
	कन्हैयालाल डबरीया	देवपुरा	[illegible]
	केसरीमल	कारगी	केसरीमल
	गणेशलाल मीणा	देवपुरा	देवपुरा
	[illegible]	देवपुरा	देवपुरा
	पंकज	पाटनपुरा	पाटनपुरा

संलग्नक - 03 ①

सेवा में

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी ,

जिला डूंगरपुर (राज)

विषय :- विधालय में भवन निर्माण व खेल मैदान बाबत |

महोदय जी ,

सादर सविनय नम्र निवेदन है की ग्राम पंचायत पाटनपूरा में वर्तमान रा.उ.मा.वि. पाटनपूरा है जो भवन की संख्या काफी कम है जो वर्तमान में कक्षा 1-12 तक संचरित (संचालित) है जिसमें भवन की कमी है व स्कुल के नाम से कोई खेल मैदान नहीं है जो बहुत जरुरी है |

अत :श्रीमान जी से निवेदन है की विधालय में खेल मैदान व भवन संख्यों बनवाने का कष्ट करें |

भवदीय समस्त

ग्रामवासीयों पाटनपूरा

Date 27/09/023

सेवा में

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी ,

जिला डूंगरपुर (राज)

विषय :- विधालय में रिक्त पद को पूरा करने बाबत

महोदय जी ,

सादर सविनय नम्र निवेदन है की स्थानीय विधालय जो पाटनपूरा है जो जिले की अंतिम सीमा पर एकमात्र विधालय है जो गत वर्ष उच्च माध्यमिक विधालय में क्रमोन्नत किया गया है जो वर्तमान में विधार्थियो की संख्या के अनुसार विधालय स्टाप की संख्या कम है । अत :श्रीमान जी से निवेदन है की विधालय में विषयवाद के शिक्षक उपलध करवाने का कष्ट करें ।

भवदीय समस्त

ग्रामवासियों पाटनपूरा

Date 27/09/023

(3)

सेवामें

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी,
जिला - डुंगरपुर (राज)

विषय - नजदीकी खनन होने से जल स्तर गहराई में जाने हे

महोदय जी

उपरोक्त विषय में इस प्रकार है की ग्राम पं. पारनपुरा में गॉव पारनपुरा के आमलीफला से 1-2 किलोमीटर दुर हे भुंगाभरर माईन्स हे जिससे हमारे मोहल्ले में काफी जल स्तर नीचे चला गया है। हमारे श्रीजी घर पर जो 2012 में बारवेल किया गया था जो 70 फीट पर पानी आया था लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है की गर्मी में 250 फीट से निचे जल स्तर गहरा चला गया है।

श्रीमान जी से निवेदन करते है की गर्मी में पानी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कि जाए तो पुरा मोहल्ला आपका आभारी बना रहेगा।

समस्त मोहल्ले वासी
आमलीफला

चोखला   [signature]   Dinesh

लालिया   महावीर   देवीलाल   हेमाला

(5)

सेवामे

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी
जिला डूंगरपुर (राज)

विषय :- खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारो को जोड़ने बाबत

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस प्रकार है की मैं पंकज कुमार मीणा/शलेन्द्र कुमार मीणा मे नाम आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार मेरा खाद्य सुरक्षा मे नाम जुड़ा था, 2016 में राशनकार्ड संशोधन किया गया था उसके बाद खाद्य सुरक्षा से नाम हट गया है। महोदय जी कही बार मेने कोशिस की लेकीन नाम नही जुड़ा है मान्यवर जी मेरे जैसे कही गरीब परिवार है जो इस योजना से वंचित है रहे होगे।

खाद्य सुरक्षा मे नाम नही होने की वजह से चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत कार्ड आदि का फायदा नही ले पाते है

अतः महोदय जी निवेदन है की खाद्य सुरक्षा पोर्टल एक बार पुनः चालु किया जाए ताकी वंचित परिवार जुड़ सके।

विनित
समस्त ग्रामवासी

(signature)

केसरीमल

(signature)

(signature)

(8)

सेवामें ,

श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदय जी

तह.-साबला,(आसपुर)

जिला डूंगरपुर,राज .

विषय :-नव आँगनवाड़ी केंद्र खुलवाने बाबत|

महोदय जी,

उपर्युक्त विषय में निवेदन इस प्रकार है की राज्य सरकार ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओ के लिए 1 से 12 वर्ष तक के विधालय से जोड़ने एव आदिवासी जनजाति बच्चो के शैक्षिक एव सर्वांग्राण विकास करने के हेतु ग्रामीण सुदूर पहड़ी क्षेत्रो में आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थपना की थी श्रीमान हमारे ग्राम पाटनपूरा भगत फला इस योजना से वंचित रह गया है तथा पाटनपूरा भगत फला में 70 – 80 परिवार निवासरत करते है जिन में से 1 - 5 वर्ष के बच्चो की संख्या करीब 70 - 80 होगी पाटनपूरा भगत फला से सरकारी स्कूल जो कि पाटनपूरा में स्तिथ है कि दुरी करीबन 2 .5 -3 किलोमीटर है |जिससे बच्चो को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा स्कूल दूर स्तिथ होने से परिजन भी अपने बच्चो को उम्र में छोटे होने के कारण स्कूल भेजने से हिचकिचाते है | अत: आप श्रीमान जी से निवेदन है कि पाटनपूरा, भगत फला में एक नवीन आँगनबाड़ी केंद्र खुलवाने की कृपा करावे जिससे 70 - 80 बच्चो का भविष्य उज्ज्वल हो सके व बच्चो शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे| आँगनबाड़ी केंद्र खुल जाने से बच्चो में शिक्षा के प्रति एक नई उमंग पैदा होगी तथा आदिवासी अंवल के बच्चे पढ़ लिख कर आपना भविष्य में उज्ज्वल कर सकते है | पूर्व में भी इस सम्बन्ध में श्रीमान जी समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर रखा है लेकिम किसी तरह कि कोई सहत प्राप्त नहीं हुई |

प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है |

दिनांक :

स्थान : भगत फला

मो .9680629546

भवदीय

अनिताकुमारी मीणा

निवासी –पाटन पूरा

योगता -12 वीं

(6)

सेवा में

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय

जिला डूंगरपुर

विषय : - ग्राम पंचायत पाटनपुरा मेन रोड़ सुण्डलखेड़ा से मेन रोड़ भुंगाभट रोड़ को पूरा जोड़ना हेतु |

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है की वर्तमान मुख्यमंत्री ग्रमीण सड़क योजना का कार्य चालू है | करीब 4 किलोमीटर दूरी है ,इस रोड़ से सुण्डेलखेडा, गंगातफला ,मेडीफला , म्यताफला एवं भगतफला की जनसंख्या निवास करती है जो कि भगत फला से आधा ½ किलोमीटर वन विभाग के अंतर्गत आता है जो कि वन विभाग अधिकारी द्वारा रोका जा रहा है , यह सड़क कई बर्षों से कच्ची बनी हुई है , लोग के आने जाने यही रास्ता है वर्षा के दिन में पाहड़ी इलाका होने के वजह से जिब टेक्टर बाइक आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग बीमार हो जाने पर इस रास्ते पर बहुत परेशान हो रहे है

अत : श्रीमानजी आपसे निवेदन है की वन विभाग से स्वीकृती दिला कर इस कार्य को पूरा कराने की अनुमति प्रदान करें |

भवदीय समस्त

ग्रामवासी पाटनपूरा

(21) जोड़/ता

बाबुलाल कैलाशचन्द नगजी
गंगाराम
अशोक जमनिलाल
प्रकाश मीणा लक्ष्मण सुण्डेलखेडा
कालुराम लक्ष्मणलाल सुरेश प्रभुलाल मीणा
पंकज
रामा ओंकार
खेमराज देवीलाल
कमला सुशीला कालुराम
गंगाराम मानाराम हेमला
हिरालाल
शंकरलाल
कालुराम देवा

(7)

दिनांक 27/9/23

सेवामे

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी

जिला डूंगरपुर (राज.)

विषय- स्थानीय ग्राम पंचायत पाटनपुरा के राजस्व गाँव मौजा देवपुरा में स्थित सोप स्टोन माइंस की लीज ग्राम सभा एवं स्थानीय निवासिओ द्वारा प्रस्तुत मांग पात्र व शर्तो के मानने के उपरान्त ही बढाने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में सानुरोध निवेदन है कि राजस्व ग्राम देवपुरा ग्राम पंचायत पाटनपूरा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासिओ के लिए सुरक्षित, संरक्षित, स्वशासित एवं अनुसूचित क्षेत्र है जिसमे स्थानीय ग्राम सभा को यहा के संसाधनों जल, जंगल, जमीन पर विशेषाधिकार देता है, जिसे स्वयं सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम,1996/2011 (पेसा) के तहत स्वशासन का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है।

श्रीमान माइंस खनन के बढ़ते दुष्प्रभाव से हम स्थानीय निवासिओ को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है जो निम्न है-

1. आये दिन ब्लास्टिंग होने से घरो की दीवारों में दरारे आ रही है, सोप स्टोन के धुल कणों के प्रदुषण से स्थानीय लोगो के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, TB, सिलिकोसिस जैसी बिमारिया हो रही है।

2. जल स्तर निचे चला गया है, आने वाले समय में पेयजल संकट आने वाला है , गहराई से भूकम्प,भूस्खलन जैसी त्रासदी से गुजरना पडेगा।

3. स्थानीय आदिवासिओ के जनजीवन उनके संस्कृति, परम्पराओं, रहवास, खेती बाड़ी , पशुचारन एवं मूल अधिकार प्रभावित हो रहे है।

4. नजदीकी स्कुलो में सेकड़ो बच्चे पढ़ रहे है, पढाई प्रभावित हो रही है।

5. स्थानीय लोगो को उपयुक्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है।

पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक सत्यापित है

Scanned with OKEN Scanner

अतः समस्त ग्रामवासी सर्वसम्मति निर्णय द्वारा निम्न मांग पात्र एवं शर्ते प्रस्तुत कर रहे है -

1 सबंधित कम्पनी द्वारा सोप स्टोन खनन से प्राप्त आय के कुल लाभ का 50 प्रतिशत लाभांश स्थानीय ग्राम सभा/ निवासिओ को जमा कराया जाये।

2 स्थानीय ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जैव विविधता की गारंटी प्रदान की जाये।

3.माइंस के परकोटे का पट्टा कब और कहा तक वैध है,गाव वालो को अवगत कराया जावे।

4 पानी, सिंचाई आदि की सुविधा मुहैया करायी जावे। माइंस की गहराई कम रखे ताकि जलस्तर बना रहे। साथी ही कोई जनहानि न हो।

5 स्थानीय मजदूरों को पेंशन, सुरक्षा, बीमा एवं छुट्टी के दिनों में भी मानदेय भुगतान हो। प्रतिदिन मजदूरी 700 रूपये की जावे।

6 अधिक प्रदुषण होने पर लोगो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर लोगो के जनजीवन प्रभावित न हो इसके विकल्प की गारंटी दी जावे।

7. सार्वजनिक भवन, CC सड़के आदि बनवाई जावे, दरार पड़े घरो की मरम्मत करवाई जावे।

8. माइंस द्वारा एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जावे, ताकि आपातकालीन में मरीज को सही समय पर हॉस्पिटल पहुचाया जा सके। मवेशियो के पानी लिए टंकिया बनवाई जावे।

9 वेस्टेज पत्थर, मलबे, मिटटी को स्थानीय ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा को भराव विकास कार्यो हेतु निशुल्क प्रदान किया जाए।

10 ग्राम पंचायत में पेड़ पोधे लगाये जाए ताकि पर्यावरण शुद्द रहे, माइंस से निकलने वाले पानी को माही नदी में नहीं डालकर, पाइप लाइन द्वारा बोरेश्वर तक पहुचाया जाये ताकि पौधो को पानी आदि में उपयोग में लिया जाये।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त मांगो को पूर्ण करवाने की कृपा करावे तभी माइंस की लीज आगे बढाई जावे, अन्यथा मजबूरन आन्दोलन की राह पकडनी पड़ेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन- प्रशासन की रहेगी।

निवेदक

समस्त ग्रामवासी देवपुरा,पाटनपूरा ग्रा.प. पाटनपूरा तहसील साबला

सरपंच

27/9/23

गौतमलाल

27/09/23

वन विभाग
अध्यक्ष

2

Scanned with OKEN Scanner

दिनेश
गणेश
रामकरण

प्रभुलाल मीणा
गजराजचंद

केसरीमल

बाबूलाल

मोहनलाल

केसरीमल

कैलाश

Sandip

गंगाराम

राजेन्द्र

अशोक

महेश

कालिया

चुन्नीलाल

नि. केसीमा

देवली

नगजी

नी ओगनी
मालोया
देवा
हेमला
हिवली
रूपा
रामलालमिठा
नवला
रामा
प्रेम Kalu

नगजी
कालीया
आली नो
गोरम

नी खुलिया
खेमराज
रूपचंद
कालूराम

नी हीरा
भवरलाल